

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/236
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00235
CICOM/R/2016/00533

दिनांक: 23.06.2016

अपीलकर्ता : श्री राजकुमार सिंह, एडवोकेट,
पुत्र - श्री देवीदीन सिंह,
752 सिविल लाइन फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

निर्णय की तारीख : 23.06.2016

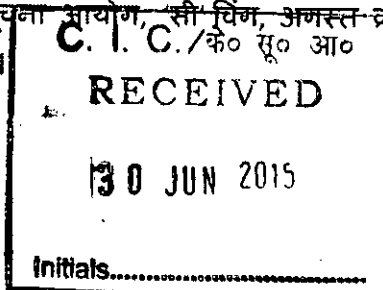
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.04.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	28.04.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.05.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	139974/30.05.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	308/31.05.2016

1. अपीलकर्ता के दिनांक 06.04.2016 के आर.टी.आई. आवेदन जो कि राष्ट्रपति सचिवालय को संबोधित है, राष्ट्रपति सचिवालय से दिनांक 21.04.2016 को केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त हुआ, के माध्यम से सूचना अधिकार कानून जब से लागू है तब से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के व्यक्तियों द्वारा आर.टी.आई. के प्रावाधानों के तहत दाखिल की गई अपील/कंप्लेन्ट से संबंधित 4 बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2016 को प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।

3. तद्विषय अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सी.पिंग, अगस्त-क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

